(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2921 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-07-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील बेगमगंज, प्रकरण क्रमांक 10/अ-27/2016-17

गजराज सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह,

निवासी ग्राम परसोरा तहसील बेगमगंज

जिला रायसेन म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. राजकुमार सिंह,
2. दशरथ सिंह, पुत्रगण दलीप सिंह
   निवासी ग्राम हिनौतिया बगबई
   तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री आर.डी.शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

श्री लखन सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील बेगमगंज द्वारा पारित दिनांक 01-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार, तहसील बेगमगंज के समक्ष ग्राम हिनौतिया बमनई स्थित भूमि खसरा क्रमांक 51/1, 53, 55, 57, 58, 59, 61 शामिल नं. 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 98, 99, 100, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 105, 119, 120, 121, 123, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 155, 157, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193,203, 204, 235, 239 कुल किता 33 रकबा 49.496 एकड भूमि का बटवारा हेतु आवेदन पत्र दिया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । नायब तहसीलदार द्वारा पेशी दिनांक 19-06-2017 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत समय बढाये जाने का आवेदन पत्र निरस्त कर हल्का पटवारी को फर्द बटान हेतु पत्र जारी करने का आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 01-07-2017 को आदेश पारित कर प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 20-07-2017 तक पूर्ववत नियत किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सन् 1983 के पूर्व ही आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य आवेदक एवं अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के अनुसार विभाजन हो गया था तब पुन: विभाजन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह भी कहा गया कि आपसी घरू विभाजन की यादाशत सूची अर्थात पंचनामा दिनांक 24/03/1983 जिस पर आवेदक एवं अनावेदकगण तथा पंचों के हस्ताक्षर है । यह पंचनामा दिनांक 24/07/1983 आवेदक एवं अनावेदकगण पर आबद्धकर है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाया गया था तब संहिता की धारा 178 के परन्तुक विभाजन कार्यवाही स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय कराने के लिये विभाजन कार्यवाही 3 माह के लिए स्थिगित की जाना चाहिये थी जो नहीं किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की कार्यवाही स्थगित न कर पटवारी को फर्द बटवारा प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है जो संहिता की धारा 178 के परन्तुक के आज्ञापक उपबंधों की अव्हेलना में होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत: वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के जबाव का अवसर समाप्त किया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है । अत: न्यायिक हित में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक को एक अंतिम अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर